(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 138/2024 **दायर दिनांक: 10.10.2024**

उनवान

1. गोपाललाल पि. बालाराम जाति कुल्मी नि. आजमपुर तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :-
प्रार्थी :- स्वयं
अप्राथी :- पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 26.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम आजमपुर तहसील रायपुर जिला झालावाड राज० का रहने वाला हूँ ओर ग्राम आजमपुर की आराजी मे मेरा नाम रामगापोल पिता बालाराम लिखा हुआ है जो गलती से गलत दर्ज हो रहा है जब कि मेरी गोपाललाल पिता बालाराम है ओर मेरे सारे दस्तावेज भी इसी नाम से बना हुवे है। ओर मे उक्त खाते मे नाम ठीक करना चाहता हूँ ओर उक्त खाते मे रामगोपाल पिता बालाराम के स्थान पर गोपाललाल पिता बालाराम दर्ज कराना चाहता हूँ ओर इसे ठीक कराना चाहता हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम आजमपुर के उक्त खाते मे मेरा नाम ठीक करने का आदेश सम्बन्धित विभाग के नाम प्रदान करन की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1280 दिनांक ..10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी गोपाल लाल जाति कुल्मी नि. आजमपुर द्वारा नाम शुद्धि बाबत प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र पेश किया है। जिसकी जांच पटवारी हल्का आजमपुर से करवायी गयी। जांच में पाया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड ग्राम आजमपुर के खाता सं. 346 जमाबंदी सं. 2073–76 में किता 2 रकबा 0.4679 है. भूमि में रामगोपाल पुत्र बालाराम के नाम दर्ज है लेकिन प्रार्थी ने दिनांक 17.06.2002 को रजिस्ट्री में रामगोपाल पुत्र बालाराम दर्ज हो रहा है। नामा.सं. 445 में भी रामगोपाल है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा पहचान पत्र, आधारकार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी का नाम गोपाललाल पि. बालाराम जाति कुल्मी नि. आजमपुर दर्ज है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड (520779227933), ग्राम आजमपुर के खाता सं. 346 की जमाबंदी सं. 2073–76 नकल छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/177615), रजिस्ट्री दिनांक 17.06.2002 की छायाप्रतियां एवं ग्राम पंचायत दुबलिया का प्रमाण पत्र पेश किया।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का आजमपुर की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2024 पेश की।

5. स्वयं प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आजमपुर के खाता सं. 346 जमाबंदी सं. 2073–76 में किता 2 रकबा 0.4679 है. भूमि में प्रार्थी का गलत नाम रामगोपाल पुत्र बालाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम गोपाललाल पुत्र बालाराम जाति कुल्मी नि. आजमपुर है। प्रार्थी के आधारकार्ड (520779227933), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/177615) आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम गोपाललाल पुत्र बालाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत दुबलिया सरपंच द्वारा जारी का प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2024 में भी प्रार्थी का सही नाम गोपाललाल पुत्र बालाराम जाति पाटीदार नि. आजमपुर बताया है। गोपाललाल पुत्र बालाराम एवं रामगोपाललाल पुत्र बालाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है इसलिए [illegible] आजमपुर के खाता सं. 346 जमाबंदी सं. 2073–76 में किता 2 रकबा [illegible] है. भूमि में प्रार्थी का नाम रामगोपाललाल पुत्र बालाराम के स्थान पर गोपाललाल पुत्र बालाराम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने आगे बताया कि ग्राम आजमपुर के खाता सं. 346 में प्रार्थी के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थी को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड ग्राम आजमपुर के खाता सं. 346 जमाबंदी सं. 2073–76 में किता 2 रकबा 0.4679 है. भूमि में रामगोपाल पुत्र बालाराम के नाम दर्ज है। खातेदार द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.2002 से हीरा पुत्र पूरा जाति बैरागी नि. आजमपुर से क्रय की थी जिसका नामा.सं. 445 दर्ज किया गया। रजिस्टर्ड दस्तावेज की डीड में अंकित त्रुटी में संशोधन हेतु पक्षकार को राजस्थान स्टाम्प एवं पंजीयन नियम 2002 के अधीन संबंधित उप पंजीयक कार्यालय से शुद्धि पत्र जारी कराना चाहिए। रजिस्टर्ड दस्तावेज में डीड लिखते समय हुई त्रुटी को धारा 136 एलआरएक्ट में दुरुस्ती योग्य नहीं है। ऐसी त्रुटी पैरोकार सरकार या राजस्व विभाग की गलती के कारण नहीं होकर पक्षकार की गलत डीड के वजह से हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

7. स्वयं प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत ग्राम आजमपुर के खाता सं. 346 जमाबंदी सं. 2073–76 में किता 2 रकबा 0.4679 है. भूमि में खातेदार का नाम रामगोपाल पुत्र बालाराम दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड (520779227933), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/177615) में प्रार्थी का नाम गोपाललाल पुत्र बालाराम अंकित है। ग्राम पंचायत दुबलिया सरपंच द्वारा जारी का प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2024 में भी प्रार्थी का नाम गोपाललाल पुत्र बालाराम [illegible] पाटीदार नि. आजमपुर बताया है। प्रार्थी द्वारा पैरोकार सरकार के इस [illegible] पर कोई आपत्ति पेश नहीं की कि राजस्व रिकार्ड में [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

दर्ज हुआ है और रजिस्टर्ड विकय पत्र में ही प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र बालाराम अंकित था। राजस्व विभाग द्वारा विकय पत्र का इन्तकाल दर्ज करते समय या फर्द बदर तैयार करते समय कोई त्रुटी नहीं की है। **रजिस्टर्ड दस्तावेज की डीड में गलत नाम/तथ्य के अंकन को राजस्थान स्टाम्प व पंजीयन नियम 2002 के अधीन संबंधित उप पंजीयक कार्यालय में शुद्धि पत्र के माध्यम से ही दुरूस्त किया जा सकता है।** रजिस्टर्ड दस्तावेज में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

136. Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं स... ...ार पर ग्राम आजमपुर के खाता सं. 346 जमाबंदी सं. 2073–76 में ... 2 रकबा 0.4679 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में खारीज कया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/24

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner